

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जशपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/205/खनि.शा./रेत(रिवर्स ऑक्शन)/2019-20

जशपुर, दिनांक 01/10/2019

जिले में गौण खनिज साधारण रेत खदान समूहों का आबंटन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से किये जाने हेतु छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं विनियमन) नियम 2019 के नियम 6 के तहत निम्नलिखित खदान समूहों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना Event no. Jashpur-01-19-08-2019 जारी किया गया था। जिसकी सूची निम्नानुसार है:-


स. क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत	रकबा	खसरा नम्बर
1.	खारीझरिया- A 1	कुनकुरी	खारीझरिया	5.000	545
2.	कुजरी- B 1	मनोरा	बुमतेल	5.000	26/1 क 26/2 क
3.	दुलदुला- C 1	दुलदुला	दुलदुला	5.000	908
4.	टांगरगांव- D 1	कांसाबेल	टांगरगांव	5.000	628
5.	अमडीहा- E 1	फरसाबहार	बलुवाबहार	3.000	1


अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी निविदा Event no. Jashpur-01-19-08-2019 को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छ.ग. के पत्र क्र 5152-5178/खनि-02/रेत(मूल)/च.क्र.45/2006, नवा रायपुर दिनांक 26.09.2019 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले रेत खदानों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 20.08.2019 में उल्लेखित उक्त पॉच अधिसूचित रेत खदान समूहों की नीलामी प्रक्रिया को पेसा एक्ट के प्रावधानों के परिपालन हेतु एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आवेदक /बोलीदारों के निरस्त किये गये निविदा Event no. Jashpur-01-19-08-2019 हेतु जमा किये गये समस्त दस्तावेज एवं प्रक्रिया शुल्क के चालान को किसी भी कार्यालयीन दिवस में जिला कार्यालय (खनिज शाखा) जशपुर से वापस प्राप्त कर सकते हैं, वापस प्राप्त की गई चालान उसी बोलीदार द्वारा पुनः उसी रेत खदान समूह हेतु टेण्डर प्रस्तुत किये जाने पर मान्य होगा।

पू.क्रमांक/205/ए/खनि.शा./रेत(रिवर्स ऑक्शन)/19  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव छ.ग.शासन खनिज साधन विभाग,मंत्रालय, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म इन्द्रावती भवन खंड-4 प्रथम तल, अटल नगर रायपुर की सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति जशपुर को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जशपुर (NIC) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला जनसंपर्क कार्यालय जिला जशपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनहेतु सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ।
7. सहायक खनि अधिकारी, जिला जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व संबंधित ..... को सूचनार्थ।

  
कलेक्टर  
जिला-जशपुर (छ.ग.)  
1/10/2019  
जशपुर, दिनांक 01/10/2019

  
कलेक्टर  
जिला-जशपुर (छ.ग.)